Drishti IAS

करेंट अफेयर्स झारखंड

नवंबर (संग्रह)

2024

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

झारखंड **3**

- झारखंड की जनजातियों की अधिकारों के लिये लड़ाई 3
- जनजातीय गौरव दिवस 2024 5
- झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिये मतदान संपन्न 7
- हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे 9

दृष्टि The Vision

नोट :

झारखंड

झारखंड की जनजातियों की अधिकारों के लिये लड़ाई

चर्चा में क्यों ?

झारखंड में आगामी विधानसभा चुनावों के लिये, राजनीतिक दलों ने **समान नागरिक संहिता (UCC)** लागू करने की योजना की घोषणा की, लेकिन आश्वासन दिया कि **आदिवासी समुदायों को इसके प्रावधानों से बाहर रखा जाएगा** और **उनके अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा पर ज़ोर दिया।**

- **झारखंड के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य** में आदिवासियों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनके संघर्षों ने कई ऐतिहासिक आंदोलनों को जन्म दिया है।

मुख्य बिंदु

- **झारखंड में ब्रिटिश नियंत्रण और आदिवासी प्रतिरोध:**
  - **भौगोलिक संदर्भ:** झारखंड, जो मुख्य रूप से **पूर्वी भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्थित है, 1765 में ब्रिटिश नियंत्रण में** आया जब मुगलों ने अंग्रेज़ों को **बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर दीवानी अधिकार प्रदान किये, जिससे उन्हें राजस्व एकत्र करने की अनुमति मिल गई।**
  - **जनजातीय निवासी: झारखंड के पठारी क्षेत्र में लंबे समय से मुंडा, संथाल, उरांव, हो (HO)और बिरहोर** जैसी जनजातियाँ निवास करती रही हैं, जिनमें से आधे से अधिक जनजातीय श्रमिकों की प्राथमिक आजीविका कृषि रही है, जो राष्ट्रीय **अनुसूचित जनजाति** औसत 44.7% से अधिक है।
- **औपनिवेशिक नीतियाँ और जनजातीय विद्रोह:**
  - अंग्रेज़ों ने वाणिज्यिक कृषि और **खनन** की शुरुआत की, जिससे कई जनजातियों को उनकी भूमि से बेदखल होना पड़ा। इस शोषण के कारण आदिवासी नेताओं ने अपने अधिकारों की रक्षा और ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिये आंदोलन आयोजित किये।
  - विद्वान राम दयाल मुंडा और बिशेश्वर प्रसाद केशरी ने 1769-93 को प्रतिरोध का प्रारंभिक चरण बताया, जिसके बाद के दशक में खुले विद्रोह का दौर आया।

प्रमुख जनजातीय विद्रोह:

- **ढाल विद्रोह (1767-1777):**
  - **नेता:** धालभूम (अब पश्चिम बंगाल में) के पूर्व राजा **जगन्नाथ धाल ने** ब्रिटिश घुसपैठ के विरुद्ध **पहले महत्त्वपूर्ण विद्रोह का नेतृत्व किया।**
  - **ब्रिटिश प्रतिक्रिया:** विद्रोह **10 वर्षों तक चला,** जिसके कारण अंग्रेज़ों को 1777 में ढाल को पुन: शासक के रूप में बहाल करना पड़ा। इस विद्रोह ने **निरंतर जनजातीय प्रतिरोध की शुरुआत को चिह्नित किया।**
- **मुंडा विद्रोह (1899-1900):**
  - **नेता: बिरसा मुंडा** के नेतृत्व में विद्रोह का **उद्देश्य ब्रिटिश नियंत्रण को उखाड़ फेंकना, बाहरी लोगों को बाहर निकालना** और एक स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना था।
  - **उद्देश्य और रणनीति:** मुंडाओं ने **गुरिल्ला रणनीति** अपनाई और औपनिवेशिक अधिकारियों, साहूकारों और मिशनरियों को निशाना बनाया।
  - **परिणाम:** बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में **1900 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई,** लेकिन विद्रोह ने एक स्थायी प्रभाव छोड़ा और बिरसा को मुंडाओं के बीच एक नायक के रूप में मनाया गया।

नोट :

- **ताना भगत आंदोलन (1914):**
  - **संस्थापक: उरांव जनजाति के जतरा भगत ने** पारंपरिक प्रथाओं की ओर लौटने का आह्वान किया और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लगान-मुक्ति अभियान चलाया।
  - **गठबंधन:** ताना भगत क्रांतिकारी कॉन्ग्रेस कार्यकर्त्ताओं के साथ शामिल हो गए और **सत्याग्रह, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों** में भाग लिया।
  - **विरासत:** इस आंदोलन ने अहिंसा और सामूहिक कार्रवाई के विचारों को प्रस्तुत किया, जिसने बड़े पैमाने पर स्वतंत्रता आंदोलन को प्रभावित किया।

नोट :

- **झारखंड आंदोलन और राज्य का दर्जा:**
  - 1980 के दशक के उत्तरार्द्ध में **झारखंड की पहचान का पुनरुत्थान हुआ, जिसमें अखिल झारखंड छात्र संघ (1986)** और **झारखंड समन्वय समिति (1987)** का गठन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप झारखंड आंदोलन और अंततः **2000 में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ।**
  - झारखंड आंदोलन ने 200 वर्षों में झारखंड की संस्कृति के क्रमिक विघटन को उजागर किया, खासकर ब्रिटिश शासन के दौरान। आज, **आदिवासी समुदाय** भूमि विवाद, कम साक्षरता दर, गरीबी और औद्योगिक विकास के बीच शोषण जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

जनजातीय गौरव दिवस 2024

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने **भगवान बिरसा मुंडा** को उनकी **जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की**, जिसे **जनजातीय गौरव दिवस (15 नवंबर)** के रूप में मनाया जाता है।

मुख्य बिंदु

- **जनजातीय गौरव दिवस:**
  - यह दिवस **सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण** और राष्ट्रीय गौरव, वीरता और आतिथ्य के भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने में **आदिवासियों के प्रयासों को मान्यता देने के लिये प्रतिवर्ष मनाया जाता है।**
  - भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आदिवासियों ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध **कई आदिवासी आंदोलन किये। इन आदिवासी समुदायों में तामार**, **संथाल**, **खासी**, **भील**, **मिज़ो** और कोल आदि शामिल हैं।

बिरसा मुंडा:

- **15 नवंबर, 1875** को जन्मे बिरसा मुंडा **छोटा नागपुर पठार के मुंडा जनजाति** के सदस्य थे।
- वह एक **भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, धार्मिक नेता** और लोक नायक थे।

नोट :

- उन्होंने 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश शासन के दौरान आधुनिक झारखंड और बिहार के आदिवासी क्षेत्र में **भारतीय आदिवासी धार्मिक सहस्राब्दि आंदोलन का नेतृत्व किया।**
  - बिरसा 1880 के दशक में इस क्षेत्र में **सरदारी लाराई आंदोलन के करीबी पर्यवेक्षक थे**, जो ब्रिटिश सरकार से याचिका दायर करने जैसे अहिंसक तरीकों से आदिवासी अधिकारों को बहाल करने की मांग कर रहा था। हालाँकि, इन मांगों को कठोर औपनिवेशिक अधिकारियों ने नज़रअंदाज़ कर दिया था।
- ज़मींदारी प्रथा के तहत आदिवासियों को **शीघ्र ही भूस्वामियों से हटाकर मज़दूर बना दिया गया**, जिसके परिणामस्वरूप बिरसा ने आदिवासियों के हितों के लिये आवाज़ उठाई।
- बिरसा मुंडा ने आगे चलकर बिरसाइत नामक एक नया धर्म **बनाया।**

नोट :

- धर्म **ने एक ईश्वर में विश्वास का प्रचार किया** और लोगों से अपने पुराने धार्मिक विश्वासों पर लौटने का आग्रह किया। लोग उन्हें एक किफायती धार्मिक उपचारक, चमत्कार करने वाले और उपदेशक के रूप में संदर्भित करने लगे।

- उरांव और मुंडा लोग बिरसाई धर्म के पक्के अनुयायी बन गए और कई लोग उन्हें **'धरती अब्बा अर्थात् पृथ्वी का पिता' कहने लगे।** उन्होंने धार्मिक क्षेत्र में एक नया दृष्टिकोण लाया।
- बिरसा मुंडा ने उस विद्रोह का नेतृत्व किया जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपी गई सामंती राज्य व्यवस्था के विरुद्ध **उलगुलान (विद्रोह) या मुंडा विद्रोह के रूप में जाना जाता है।**
- उन्होंने जनता को जागृत किया और उनमें ज़मींदारों के साथ-साथ अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह के बीज बोए।
- **आदिवासियों के शोषण और भेदभाव के विरुद्ध** उनके संघर्ष के परिणामस्वरूप 1908 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ, जिसने आदिवासी लोगों से गैर-आदिवासियों को भूमि देने पर प्रतिबंध लगा दिया।

झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिये मतदान संपन्न

चर्चा में क्यों ?

झारखंड राज्य में वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक आयोजित किये गए। इस बार राज्य में **67.59% मतदान दर्ज** किया गया, जो कि वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में हुए 67.04% मतदान से अधिक है।

मुख्य बिंदु

- **झारखंड में मतदान:**
- झारखंड के **12 ज़िलों के 38 विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित मतदान** शुरू हुआ।
  - **मतदान के समय मतदाताओं की संख्या अत्यधिक रही,** जिसमें पहली बार मतदान करने वाले, महिला मतदाता, आदिवासी मतदाता और दिव्यांग मतदाता जैसे विभिन्न समूहों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।
- **जनजातीय मतदाताओं और विशिष्ट मतदान केंद्रों पर ध्यान केन्द्रित करना:**
  - **जनजातीय मतदाताओं के बीच भागीदारी बढ़ाने के लिये विशेष प्रयास किए गए, जिनमें 8** विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG) के 1.78 लाख सदस्यों का 100% नामांकन शामिल है।
  - **48 अनूठे मतदान केंद्रों को** जनजातीय संस्कृति **को प्रतिबिंबित करने वाली थीमों** के साथ सजाया गया था, जिससे मतदाताओं के लिये स्वागत योग्य माहौल तैयार हुआ।
- **पहुँच एवं सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएँ (AMF):**
  - **मतदान केंद्रों पर** शौचालय, रैम्प, पेयजल और शेड की व्यवस्था की गई थी, **ताकि मतदाताओं को सुविधा मिल सके।**
  - **मतदान प्रक्रिया को सुचारू और समावेशी बनाने के लिये सुविधाएँ प्रदान की गईं,** जैसे बेंच, स्वयंसेवक और व्हीलचेयर आदि।
  - **चुनावी कदाचारों से निपटना:**
    - **निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये सतर्कतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया** तथा धन, मादक पदार्थ और अन्य प्रलोभन ज़ब्त किये गए।
    - **कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय से** धनबल और बाहुबल पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने में सहायता मिली।
- **डिजिटल सुविधा एवं निगरानी:**
  - सुविधा 2.0 ऐप के माध्यम द्वारा अभियान की अनुमति प्रदान की गई, जिसके तहत झारखंड में 11,932 आवेदनों का निष्पादन किया गया।
  - cVIGIL ऐप के माध्यम द्वारा मतदाता आदर्श आचार संहिता (MCC) के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकते हैं। झारखंड में 24,992 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 99% शिकायतों का समाधान किया गया, जिनमें से ज़्यादातर का समाधान 100 मिनट के भीतर किया गया।
- **मतगणना एवं परिणाम:**
  - झारखंड विधानसभा चुनाव **की मतगणना 23 नवंबर, 2024 को निर्धारित है।**

नोट :

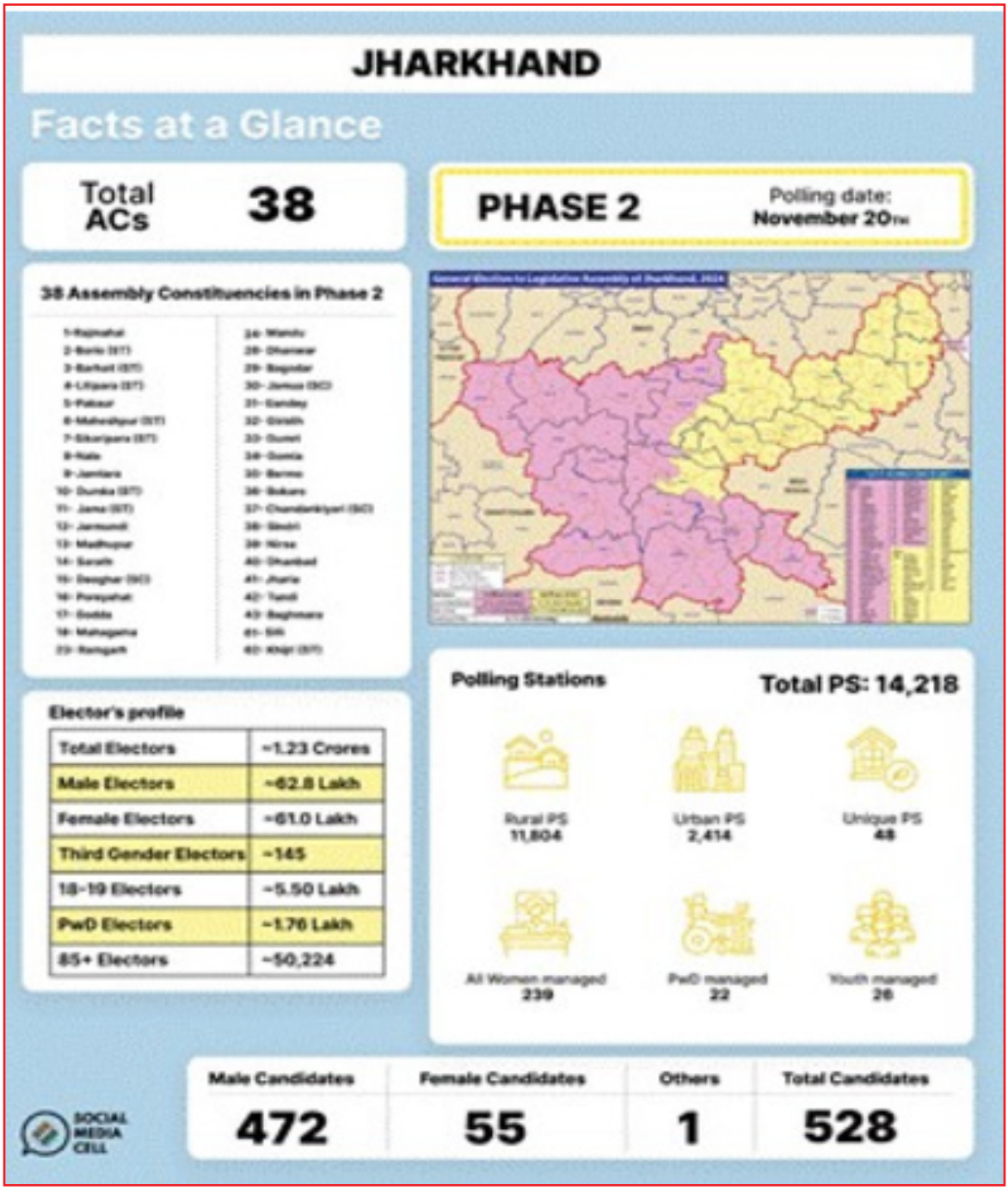

सुविधा पोर्टल

- यह **भारत निर्वाचन आयोग (ECI)** द्वारा विकसित एक तकनीकी समाधान है, जिसका उद्देश्य स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों के **लोकतांत्रिक सिद्धांतों को** बनाए रखते हुए समान अवसर सुनिश्चित करना है।
- पोर्टल का उद्देश्य **चुनावों** के दौरान **राजनीतिक दलों** और **उम्मीदवारों** से अनुमतियों और सुविधाओं के लिये **अनुरोधों को सुव्यवस्थित करना है तथा पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत** के आधार पर **अनुरोधों को पारदर्शी रूप से प्राथमिकता देना है।**

नोट :

- यह रैलियाँ आयोजित करने, अस्थायी पार्टी कार्यालय खोलने, घर-घर जाकर प्रचार करने, वीडियो वैन, हेलीकॉप्टर, वाहन परमिट प्राप्त करने और पर्चे बाँटने की अनुमति प्रदान करता है।

cVIGIL ऐप

- भारत निर्वाचन आयोग का **cVIGIL ऐप** नागरिकों के लिये **चुनाव आचार संहिता उल्लंघन की** रिपोर्ट करने के लिये एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरा है, विशेष रूप से चल रहे **आम चुनाव 2024** के दौरान ।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
- **शिकायतें दर्ज करना:** cVIGIL चुनावी राज्य में किसी भी व्यक्ति को आदर्श आचार संहिता (MCC) के उल्लंघन की सूचना देने की सुविधा प्रदान करता है, जो चुनाव की घोषणा की तिथि से प्रभावी होती है और मतदान के एक दिन बाद तक जारी रहती है।
- **गुमनाम रिपोर्टिंग:** उपयोगकर्त्ता बिना किसी पहचान के शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ताकि उनकी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित और गोपनीय बनी रहे।
- **जियोटैगिंग (Geotagging):** जब उपयोगकर्त्ता कैमरा सुविधा का उपयोग करते हैं तो ऐप स्वचालित रूप से रिपोर्ट में जियोटैग जोड़ देता है, जिससे फील्ड इकाइयों को सटीक स्थान की जानकारी मिल जाती है।

हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे

चर्चा में क्यों ?

झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेता **हेमंत सोरेन** 28 नवंबर 2024 को **झारखंड के नए** मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे।

प्रमुख बिंदु

- **राज्यपाल का निर्णय:**
- राज्यपाल **ने** हेमंत सोरेन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और उन्हें मनोनीत मुख्यमंत्री नियुक्त किया तथा नई सरकार बनने तक पद पर बने रहने को कहा।
- **राज्यपाल की भूमिका (अब LG):**
- अनुच्छेद 164 के तहत, राज्यपाल बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **राज्यपाल ऐसी सरकार का गठन सुनिश्चित करता है** जिसे विधानमंडल में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो।
- **पद की शपथ:**
- **अनुच्छेद 164(3)** के अनुसार, किसी राज्य के **राज्यपाल को किसी मंत्री को** पद ग्रहण करने से पहले **पद और गोपनीयता की शपथ दिलानी चाहिये।**
- यह शपथ संविधान के प्रति निष्ठा और विधि के अनुसार कर्त्तव्यों के निर्वहन का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री की नियुक्ति

- संविधान के **अनुच्छेद 164** में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी।
  - **विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त** करने वाली पार्टी के नेता को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है।
  - राज्यपाल **नाममात्र का कार्यकारी अधिकारी** है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकार मुख्यमंत्री के पास होता है।
  - हालाँकि, राज्यपाल द्वारा प्राप्त विवेकाधीन शक्तियां राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की शक्ति, अधिकार, प्रभाव, प्रतिष्ठा और भूमिका को कुछ हद तक कम कर देती हैं।
- **किसी ऐसे व्यक्ति को, जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, छह माह के लिये मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है,** जिसके दौरान उसे राज्य विधानमंडल के लिये निर्वाचित होना चाहिये अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रह जाएगा।

✦ ✦ ✦ ✦

नोट :